two organisations that are leading the agitation and therefore that particular point of view the Government should not plan its strategy and perspective." Will it be acceptable to him?

SHRI P. C. SETHI: I am very happy that Prof. Dandavate has been able to contact the Assam students. I was under the impression that they have been taking a line, that all India parties, as far as they are concerned, they do not exist. However, in view of the fact that Prof. Dandavate has been able to contact them, we are happy to learn this situation and this offer from them that they have not taken this stand some extremists might have taken is welcome. Sir, I only want to assure ... (*Interruptions*)

PROF. MADHU DADAVATE: Are you not happy about it?

MR. DEPUTY SPEAKER: I think he is happier than you.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, we are equally happy because both of us are equally patriotic.

SHRI P. C. SETHI: Sir, as far as the question of the permanent operation is concerned, this will be decided in the context of the entire situation that exists in Assam. However, we are happy that Prof. Dandavate and practically all the leaders of the opposition yesterday took this stand that as far as this question is concerned, that nothing belongs to a particular State everything belongs to all India and therefore it is clear. But there may be a difference of opinion as to when and how it should be flushed and should be re-started on a permanent basis. At least this basic question has been decided and I am thankful to Prof. Dandavate for getting this information from the Assam students.

Illegal Trading of Silver by Film Laboratories

+

*105. SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI:
SHRI RASHEED MASOOD:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the illegal trading of silver recovered as a by-product by films laboratories in the country;

(b) if so, the *modus operandi* of the film laboratories in carrying out the illegal trading of silver recovered as a by-product; and

(c) the measures taken by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) and (b) The Working Group on National Film Policy in their Report have stated that, on a rough basis, it is estimated that silver worth Rs. 8 to 10 crores per year can be recovered from the chemical bath used by the film processing laboratories. In their opinion, most of the labs show some sale of used chemical bath to small entrepreneurs but in actual practice recover silver clandestinely. The money thus generated is used for informal credit to film makers.

(c) It has been recommended in the Report that standards of recovery of silver from chemical wash should be laid down after scientific investigation. The recovered silver should be handed over to Hindustan Photo Films or any other manufacturing agency and the lab should be reimbursed only processing cost of silver recovery and not the cost of silver recovered. Appropriate action in terms of the recommendations made will be taken.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मंत्री महोदया ने कहा है कि राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्य दल

ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि मोटे तौर पर फिल्म विधायन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तुत रसायन शोध से अंदाजन प्रतिवर्ष आठ से दस करोड़ रुपये की चांदी निकाली जा सकती है। यह फिल्म वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है कि प्रति वर्ष देश में केवल एक प्रयोगशाला के द्वारा 5040 किलोग्राम चांदी गलत ढंग से हड़प ली जाती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रयोगशालाओं द्वारा यह गैर-कानूनी व्यापार कब से ही रहा है और जो अरबों रुपयों की सम्पत्ती प्रति वर्ष आंख में धूल झोंक कर फिल्म उद्योगपतियों से सांठ-गांठ करके हड़प ली जाती है उसके लिए सरकार क्या कर रही है तथा कब से इस चोरी का पता सरकार को लगा है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : इसमें चोरी के बारे में नहीं कहा जा सकता लेकिन फिल्म एडवाइजरी कमेटी का जो ग्रुप बना और उसने जो रिपोर्ट दी उससे जाहिर है कि फिल्म के धोने में उसमें से चांदी निकलती है। देश में, तकरीबन 35 लैबार्टरीज हैं, जो बंगलोर, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम, मद्रास, बम्बई में ज्यादातर हैं, वहां चांदी अवश्य निकलती है और रिपोर्ट से पता चलता है कि काफी तादाद में चांदी निकलती है। लेकिन यह विषय राज्यों के अधीन आता है। अभी राज्यों के मंत्रियों की एक कांफ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने भी माना कि यह विषय कुछ हद तक कानकरेन्ट लिस्ट में आना चाहिए। यह एक सर्वमान्य मान्यता वहां पर रही और अगर ऐसा होता है तो केन्द्रीय स्तर पर इसको नियन्त्रित करने के लिए कुछ कदम उठाये जा सकेंगे। अभी फिलहाल राज्यों के स्तर पर यह मामला होने से हम सीधे दखल नहीं दे सकते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित प्रतिष्ठान द्वारा जो फिल्म रोल सप्लाई किये जाते हैं वह प्रयोगशालाओं में जितनी जरूरत होती है जैसे 14 रोल की जरूरत होती है तो अमूमन बढाकर 16, 18 या 20 रोल्स की मांग की जाती है तो क्या सरकार उस मांग के अनुसार बगैर किसी झिझक के उसकी सप्लाई कर देती है जिससे कि उनको ब्लैक मार्केटिंग का मौका मिलता है ?

श्री वसन्त साठे : शायद समझने में कुछ गलतफहमी हो रही है। यह रा-स्टाक जिसको कहते हैं यह सरकार सप्लाई नहीं करती है बल्कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स में रा-स्टाक आता है और वहां से, विभिन्न सिनेमा बनाने वाले जो हैं वे लेते हैं और ये सिनेमा बनाने वाले निगेटिव फिल्म को जब एक्सपोज करते है और लैबार्टरी में धोने के लिए जब फिल्म जाती है तो वाश करते समय यह चांदी निकलती है। इसका डाइरेक्ट सम्बन्ध रा-स्टाक देने वालों से नहीं है--यह बात मैं आप को बताना चाहता था।

श्री रशीद मसूद : वज़ीर साहब ने कहा कि इस का सैन्टर से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिल्म्स डिवीजन जो है उसका ताल्लुक सैन्टर से है। मैं समझता हूं वज़ीर साहब को मालूम होगा कि इसमें जो खराब फिल्म रोल होते हैं जो 17 18 रुपये में वेचे जाते हैं उसमें 50 रुपये की तो चांदी ही होती है। क्या वज़ीर साहब को इसका इल्म है या नहीं ? अब तो रिपोर्ट को आये हुए काफी टाइम हो गया है, मंत्री जी ने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है या नहीं ? अगर नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया ?

شری رشید مسعود : وزیر صاحب

نے کہا کہ اس کا سینٹر سے کوئی

تعلق نہیں ہے لیکن فلمس ڈویژن

جو ہے اس کا تعلق منسٹر سے ہے - میں سمجھتا ہوں وزیر صاحب کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو خراب فلم ریل ہوتے ہیں جو ۱۷-۱۸ روپئے میں بیچے جاتے ہیں اس میں پچاس روپئے کی چاندی ہی ہوتی ہے - کیا وزیر صاحب کو اس کا علم ہے یا نہیں - اب تو رپورٹ کو آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے - منسٹری جی نے ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے یا نہیں - اگر نہیں لیا ہے تو کیوں نہیں لیا ہے -]

श्री वसन्त साठे : जहां तक फिल्म डिवीजन का सवाल है , हम अपनी खुद लैबोरेट्री बना रहे हैं । दिल्ली में लैबोरेट्री बना रहे हैं ।

श्री रशीद मसूद : मैं यह कहना चाहता हूं कि 50 रु० की चीज जो 17 रु० में बिक रही है, इस पर आपने अब तक क्या एक्शन लिया है ।

[شری رشید مسعود : میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ۵۰ روپئے کی چیز جو ۱۷ روپئے میں بک رہی ہے اس پر آپ نے اب تک کیا ایکشن لیا ہے -]

श्री वसन्त साठे : हमारे यहां से थोड़े ही बेच रहे हैं ।

श्री रशीद मसूद : आपकी रिपोर्ट में है ।

[شری رشید مسعود : آپ کی رپورٹ میں ہے -]

श्री वसन्त साठे : फिल्म डिवीजन वाले कोई चांदी नहीं बेच रहे हैं । जहां तक लैबोरेट्रीज से जो चांदी निकलेगी, उसका सवाल है , उसका क्या व्यौरा है, उसकी जानकारी लेकर

.... (व्यवधान)

He has no patience. What can I do?

.... (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : आप जरा इनका सवाल दोबारा सुन लीजिए ।

श्री वसन्त साठे : मैंने इनका सवाल सुन लिया है । फिल्म डिवीजन के मातहत लैबोरेट्रीज में कितनी चांदी निकलती है, उसका क्या होता है ... (व्यवधान) ... आप तो चांदी की बात कर रहे हैं ।

श्री मसूद : जो 17–18 रु० के आप वैस्ट फिल्म रोल्स बेचते हैं । जैसा कि आपकी वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है, उसमें से जो चादी निकाली जाती है, वह 50–60 रु० की होती है । इसका आपको इल्म हो गया था उससे पहले के लिए आप कह सकते हैं कि आपको इल्म नहीं था । इस लिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब तक उनके ऊपर क्या पाबन्दी लगाई है, क्या उस पर एक्शन लिया है ?

[شری رشید مسعود : جو ۱۷-۱۸ روپئے کے آپ ویسٹ فلم رول بیچتے ہیں - جیسا کہ آپ کی ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہے اس میں سے جو چاندی نکالی جاتی ہے وہ ۵۰-۶۰ روپئے کی ہوتی ہے - اس کا آپ کو علم ہو گیا تھا - اس سے پہلے کے لئے آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں تھا - اس لئے میں

منتری مہودے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک ان کے اوپر کیا پابندی لگائی ہے - کیا اس پر ایکشن لیا گیا -]

श्री वसन्त साठे : सिल्वर रिकवरी प्लांट सैट-अप करने की बात है , रोल्स तो आज भी वैसे ही बेचे जाते हैं । हम तो चांदी रिकवर नहीं करते हैं, दूसरे लोग करते हैं । यह न हो, इस लिए खुद सिल्वर रिकवरी प्लांट लगाने का विचार चल रहा है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री जी से जाना चाहूंगा कि अपना जवाब देते वक्त उन्होंने कुछ स्टेट और कुछ सैन्टर की बात इस अन्दाज से कही कि यह साफ तौर से स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह स्टेट गवर्नमैंट के अधिकार क्षेत्र में है या सैन्ट्रल गवर्नमैंट के अधिकार क्षेत्र में है। तो पहली बात में जानना चाहता हूं कि आया जो चांदी निकल रही है और जो गलत तरीके से मार्केट में बेची जा रही है, इतनी मुद्दत तक चाहे वह स्टेट गवर्नमैंट हो या सैन्ट्रल गवर्नमैंट हो, अब तक उस पर क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया ? अधिकार क्षेत्र की बात तो मंत्री महोदय के सामने रिपोर्ट में है, इस लिए यह स्थिति भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आया यह स्टेट गवर्नमैंट के अधिकार क्षेत्र में है या सैन्ट्रल गवर्नमैंट के अधिकार क्षेत्र में है ?

श्री वसन्त साठे : यह ट्रेडिंग लाइसेंस स्टेट गवर्नमैंट देती है और इस लिए यह विषय स्टेट गवर्नमैंट के अधीन आता है । जहां तक फिल्म्स डिवीजन, फिल्म एग्जीबिशन और प्रोडक्शन का सवाल है, यह सबजैक्ट स्टेट के अधीन आता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है । जो फिल्में उन्होंने एक बार ले लीं, फिर उस को बनाना और प्रोसेसिंग लैबोरेट्रीज भी स्टेट के अन्दर आती हैं, उस पर भी हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है । जैसी कि फिल्म एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है, हम यह मानते हैं कि चांदी निकलती है और कुछ न कुछ कदम उसके बारे में लेना चाहिए । जैसा मैंने कहा जब तक यह विषय कान्करेंट लिस्ट में नहीं आयेगा तब तक हम कानून नहीं बना सकेंगे । हम रिक्मेंडेशन कर सकते हैं स्टेट गवर्नमैंट को कि इस के बारे में कोई कानून बने, जैसे स्टेट मिनिस्टर्स ने कबूल किया है कि इसको कान्करेंट लिस्ट में लाया जाना चाहिए और उस दृष्टि से सोचा जा रहा है ।

SHRI R. K. MHALGI: May I know from the hon. Minister whether Government are aware of the press reports of illegal trading in silver by the film laboratories in the country and whether they have been contradicted or explained away and, if not, why not?

SHRI VASANT SATHE: It is possible that there could be illegal trading by the film laboratories. The whole problem is that when this silver comes out, it does not become accountable. If you could lay your hands on that by the process of law, then you would know it. Today you have only to presume that the silver which is recovered through these processes all go underground, or to the blackmarket, or something must be happening to that. Therefore, it is not for me to say how this silver is going underground, where it is going. Under the present structure of law, we are not in a position to do anything.

SHRI R. K. MHALGI: My question is whether the Government are aware of the press reports of such a thing going on in the film laboratory and, if so, whether it has been contradicted and explained away.

SHRI VASANT SATHE: It is not for me to contradict it. I am aware of those reports and I say it is possible. So, where is the question of my contradicting it?

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि इन को जानकारी नहीं थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है । मैं जानना चाहती हूं कि इन्होंने राज्य सरकार को कुछ कार्यवाही करने के लिये लिखा या नहीं और यदि लिखा, तो क्या कार्यवाही करने के लिये लिखा तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वसन्त साठे : मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि इस का हल एक ही है कि इसे किसी न किसी कानून के तहत लाया जाये । या तो राज्य सरकार के कानून के तहत लाया जाय या केन्द्र सरकार के कानून के तहत लाया जाय. . (व्यवधान) . . . राज्य सरकार के मंत्रियों से मैंने स्वयं बातचीत की है. . . . (व्यवधान) . . .

I do not understand all this excitement. I have personally discussed this matter with the concerned State Ministers. We are concerned with this subject and we will take the necessary steps in this matter.

Additional Power Capacity

*106. SHRI R. Y. GHORPADE: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether this year's target of installing additional capacity of generation is 2300 MW;

(b) if so, how do Government expect to achieve it; and

(c) what steps have been taken to remove the bottlenecks, rectify the shortcomings and ensure that correct figures of generation and distribution of power are supplied by the authorities concerned to Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b). As against the programmed commissioning of new thermal and hydro units aggregating to 2232 MW during the curren financial year it is expected that a capacity of 1912 MW would be added.

(c): Construction monitoring directorates have been set up in the Central Electricity Authority (CEA) to closely monitor the various activicities of the projects. Coordination and review meetings are regularly held in the CEA with the project authorities, equipment suppliers and manufacturers, construction agencies etc. A close watch is kept on all constraints for corrective actions. CEA's senior officers visit project sites and take up the matter with he appropriate authorities for removing the bottlenecks. Review meetings are also held in the Deptt. of Power for appropriate action with the State Govts. as well as at the level of the Union Govt. Detailed guidlines on timely monitoring and expeditious implementaton of projects, have also been sent to the State Electricity Boards by the Deptt. of power, Ministry of Energy.

SHRI R. Y. GHORPADE: Is it a fact that during the first two weeks of November, power generation was up by 15.3 per cent, as compared to the corresponding period last year? Is it also a fact that load staggering in industry has been systematised and high peak tariff powers are being introduced as well as time differentiation meters?

SHRI VIKRAM MAHAJAN. It is a fact that we have achieved a tremendous break through in power generation in November this year, when it was 15 per cent more than in the corresponding period last year. We are initiating every possible measure both to improve the power supply and, at the same time, to improve the efficiency of our energy system, like what the hon. Member has mentioned; we